

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)**

पीठासीन अधिकारी : बिहारी लाल मीणा, आर०ए०एस०

अपील संख्या 64/2018

1--नन्दलाल पुत्र मोदी राम जाति सांसी निवासी विश्वनाथपुरा तहसील लाडनूं जिला नागौर

.....अपीलान्त

बनाम

1-- तहसीलदार लाडनूं जिला नागौर राज०

.....रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता--

1--श्री महावीर प्रसाद गुर्जर एवं श्री विक्रम कुड़ी अधिवक्ता अपीलान्त

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरुद्ध निर्णय  
तहसीलदार लाडनूं बअनुवान राज०सरकार जरिये पटवारी हल्का,  
सुनारी बनाम नन्दलाल मु० नं० 79/18 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.

एक्ट दिनांक 11.09.2018

निर्णय

दिनांक : 23.01.2019

अपीलान्त की ओर से निम्न अपील पेश है :-

1. यह है कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सुनारी में दिनांक 06.07.2018 को इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि अप्रार्थी नन्दलाल




अतिरिक्त जिला कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)

श्री गोदी राम जाति सांसी निवासी विश्वनाथपुरा तहसील लाडनू जिला नागौर  
खसरा नम्बर 304 रकबा 00.05 बीघा किस्म गैर मुमकिन भूमि गौघर पर  
श्री गोदी राम द्वारा बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमी को  
राजस्थान भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया।

पटवारी हल्का, सुनारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर  
कर अप्रार्थी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के  
नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी को नोटिस तामील होकर प्राप्त  
का शामिल मिसल है। पटवारी हल्का से निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट प्राप्त की  
कि शामिल पत्रावली की गई।

हमने हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का भली-भांति अध्ययन एवम  
किया, ग्राम विश्वनाथपुरा के खसरा नम्बर 304 किस्म गै0 मु0 गौघर  
00.05 बीघा भूमि पर नन्दलाल पुत्र श्री गोदीराम जाति सांसी निवासी  
विश्वनाथपुरा तहसील लाडनू जिला नागौर राज0 द्वारा गौघर की भूमि पर  
बनाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि नन्दलाल पुत्र  
गोदी राम जाति सांसी निवासी विश्वनाथपुरा द्वारा पूर्व में अतिक्रमण किये  
के लिए राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन  
करने पर न्यायालय तहसीलदार लाडनू में मु0 न0 79/2018 दर्ज कर  
अनुसार निर्णय दिनांक 11.09.2018 ( सरकार बनाम नन्दलाल ) में अतिक्रमी  
को बेदखल किये जाने व सम्वत् 2075 की लगान दर 0.45 रूपये का  
जुर्माना 06 रूपये के आदेश पारित किये हैं।

इस प्रकार उक्त अतिक्रमी माना जाकर धारा 91 एल आर एक्ट में प्रदत्त  
अनुसार अप्रार्थी को खसरा सं0 304 किस्म गै0 मु0 गौघर रकबा 00.  
05 बीघा भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया है। इस निर्णय से  
संतुष्ट होकर अपीलार्थी यह अपील निम्न आधार पर प्रस्तुत करता है:-

  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
जीबना (नागौर)



—: अपील के आधार :—

1. यह है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधिन अपील पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यह है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के बिना निर्णय अधिन अपील पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।
3. यह है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत न्यायालय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए निर्णय अधिन अपील पारित करने में धोर त्रुटि की है, अतः निर्णय अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।
4. यह है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं मिली है तथा न ही पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये हैं। तथा अपीलान्त/प्रार्थी को साक्ष्य सबुत का अवसर भी नहीं दिया है, इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।
5. यह है कि अपीलार्थी को न्यायालय तहसीलदार लाडनू द्वारा पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया ना ही पटवारी हल्का द्वारा पटवारी रिपोर्ट अपीलार्थी के समक्ष बनाई तथा ना ही अपीलार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये हैं। इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।
6. यह है कि अपीलार्थी द्वारा जिस स्थान पर अतिक्रमण करना बताया गया है, उक्त स्थान पर अपीलान्त के रहवासीये मकानात पूर्वजों के समग्र से ही बने हुये है, तथा स्थानीय प्रशासन ग्राम पंचायत सुनारी द्वारा उक्त स्थाना नम्बर 304 में आबादी विस्तार के लिये जिला कलक्टर नागौर को भी आबादी भूमि के लिये भूमि के आवंटन हेतु भी निवेदन किया हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी का उक्त स्थान पर किसी प्रकार से अतिक्रमण न होकर साधिकार



अतिरिक्त जिला कलक्टर

जिला कलक्टर, नागौर

मौकों से काबिज होकर रहवास करते आ रहे है। जिससे भी अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

यह है कि अपीलार्थी खसरा नम्बर 304 की भूमि में पिढियों से अपने रहवासी मकान बना कर रहा है तथा अपने रहवासी मकानात में बिजली पानी जैसी सुविधाओं के कनेक्शन भी संबंधित विभागों से ले रखे है। जिससे भी अपील अधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

यह है कि अपीलान्त के पास उक्त रहवासीये मकानात के अलावा अन्य कोई रहवासीये मकान व जायगा ग्राम विश्वनाथपुरा में उपलब्ध नहीं है, एक मात्र उक्त भूमि में बने मकानात ही रहवास का स्थान है जहाँ से अपीलार्थी को अपना किसी उचित कारण के ही बेदखल कर दिया जाता है अथवा वर्षों की कृपा पसीने की कमाई से बनाये गये रहवासीय मकानात को तोड़ फोड कर गिरा जाता है तो अपीलार्थी उसके परिवार खुले आसमान के नीचे जीवनापन करने के लिये मजबुर हो जावेगें। जिस पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कोई आदेश नहीं कर उक्त आदेश पारित किया है, जिससे उपरोक्त कार्यवाही अपीलान्त के विरुद्ध झोप किया जाना न्याय हित में है।

9. यह है कि हल्का पटवारी ने भौतिक रूप से मौके पर बिना कोई नाप चौक किये ही नजरना तौर पर अतिक्रमण रिपोर्ट बनाकर अपीलान्त के विरुद्ध धारा 91 के तहत कार्यवाही करने की अनुशंसा की है, जो मौके पर बिना कोई भौतिक रूप से नाप चौक किये ही तहसीलदार महोदय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जिससे उपरोक्त अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

10. यह है कि मौके पर अपीलार्थी द्वारा उपर वर्णित खसरे में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। इस कारण अपीलार्थी निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

11. यह है कि अन्य उजरात वर वक्त बहस अर्ज किये जावेगें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
लाडनू (तहसीलदार)



यह है कि अपील श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है व अन्दर  
सुनवाई पेश है।

अतः अपील अपीलार्थी मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है किया है  
दिनांक 11.09.18 को पारित आदेश व निर्णय जैर अपील को अपारस्त व  
अपारस्त फरमाये जाने की कृपा करावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 11.10.18 को प्रस्तुत की  
गयी जो दिनांक 15.10.18 को दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोंडेंट को जरिये  
नोटिस तलब किया गया। दिनांक 16.11.18 को अधिनस्थ न्यायालय  
तहसीलदार लाडनू द्वारा प्रेषित रिकॉर्ड इस न्यायालय को प्राप्त हुआ  
जो शामिल मिसल किया गया।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।  
पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत  
प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा ग्राम विश्वनाथपुरा के खसरा नम्बर 304  
रकबा 31.06 बीघा में से 0.05 बीघा गैर मु0 गोंचर पर मकान व  
विचार बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर अपीलार्थी को  
न्यायालय नायब तहसीलदार लाडनू द्वारा अतिक्रमी घोषित कर  
नैतिक रूप से बेदखल किया गया तथा धारा 91 भू-राजस्व  
अधिनियम 1956 के तहत जुर्माना रुपये 06/- अक्षरे रुपये छः का  
अर्थदण्ड आरोपित किया गया तथा बेदखली के आदेश दिये गये।

अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार लाडनू  
को दिया अपना जवाब में बताया कि सुनवाई के वगैर निर्णय किया  
गया है तथा मुतनाजा भूमि पर रहवासीये मकानात पर्वजों के समय  
से बने हुवे है तथा बिजली पानी कनेक्शन भी ले रखे है। तथा

  
अधिवक्ता श्रीमान गन्धलाल  
तहसीलदार लाडनू

आवादी विस्तार के लिये जिला कलेक्टर नागौर से भी आवादी भूमि के लिये आवंटन हेतु भी निवेदन किया हुआ है।


गौचर भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आराजी है। जिसमें धारा 16 आर. ए. के तहत उक्त भूमि पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं है तथा न ही गौचर भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा आवादी का पट्टा जारी किया जा सकता है। तथा यह भी सावित नहीं होता कि अपीलान्त को उक्त अवसर नहीं दिया गया है, क्योंकि अपीलान्त द्वारा दिनांक 11.9.18 को खपना जवाब पेश किया जो पत्रावली पर उपलब्ध है। अधिनरथ पत्रावली पर उपलब्ध प0ह0 सुनारी व भू0अ0नि0 की, रिपोर्ट दिनांक 5.07.18 में भी नन्दलाल पुत्र मोदी राम को मकान व दिवार बना कर बतया गया है। तथा मुतनाजा भूमि आवादी विस्तार भूमि से बाहर संख्या 304 किस्म गै0मु0 गोचर में स्थिति बताया है। अतः अधिनरथ पत्रावली द्वारा दिनांक 11.09.18 को किया गया निर्णय विधि सम्मत है।

∴ आदेश ∴

अतः अपीलान्त की अपील खारीज की जाकर अधिनरथ न्यायालय का आदेश दिनांक 11.09.18 बहाल रखा जाता है।

  
(बिहारी लाल मीणा)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 23.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(बिहारी लाल मीणा)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

